न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 02/2020 GCMS No.—2020/00061

सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. रामफूल पुत्र मांगू जाति बलाई, निवासी ग्राम बहलोड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. शांति पुत्री मांगू जाति बलाई, निवासी ग्राम बहलोड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 13.11.1970 को निरस्त करने बाबत खसरा नंबर 99 रकबा 8 बीघा ग्राम चिलपली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।

निर्णय दिनांकः 21.10.2021

तहसीलदार जमवारामगढ ने जरिये पत्रांक भू.अ./2020/3448 दिनांक 19.08.2020 द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति आमेर के आदेश दिनांक 13.11.1970 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता मांगू पुत्र गोपाल जाति बलाई निवासी ग्राम बहलोड तहसील जमवारामगढ को ग्राम चिलपली, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 99 में से रकबा 8 बीघा का आवंटन किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.09.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.1970 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक व दो के पिता को ग्राम चिलपली तहसील जमवारामगढ स्थित साबिक खसरा नम्बर 99 हाल ख.न. 151, 154, 161, 178 कुल रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा में 8 बीघा भूमि का आवंटन नियम विरूद्व एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त अवैध आवंटन की अनुपालना में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

आदिनांक तक किसी प्रकार की कोई गैर खातेदारी का नामान्तकरण आवंटी के नाम से नहीं खुला है जिससे स्पष्ट है कि आवंटन आदेश की पालना राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुई है। आवंटी मांगू पुत्र गोपाल जाति बलाई निवासी ग्राम बहलोड फौत हो चुका है एवं उनके वारिसान का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त आवंटित भूमि राजकीय भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आंवटी के फौत होने एवं उनके वारिसान का कब्जा काश्त नही होने के कारण एवं आवंटन आदेशों की पालना नहीं हो पाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्तनीय है। अतः तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व आवश्यक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने एवं विवेचित भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर पाने/कब्जा काश्त नहीं करने एवं आवंटन आदेशो का अमल संभव नहीं हो पाने के कारण आवंटन सलाहकार समिति आदेश दिनांक 13.11.1970 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता आवंटी मांगू पुत्र गोपाल जाति बलाई के हक में ग्राम चिलपली तहसील जवारामगढ स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 99 में रकबा 08 बीघा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया, इसमें कोई गलती आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई है। अप्राथी संख्या 1 व 2 का विवादित भूमि पर कब्जा है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण अप्रार्थी विवादित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं करा सके एवं आवंटित भूमि का नामान्तकरण नहीं खुलवा सका। आवंटन सलाहकार समिति ने आंवटी को सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर आवंटन किया तथा आवंटन के समय ही आंवटित कृषि भूमि का कब्जा आंवटी को सुपुर्द कर दिया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का मय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता मांगू पुत्र गोपाल जाति बलाई निवासी ग्राम बहलोड को ग्राम चिलपली, तहसील जमवारामगढ के आराजी खसरा नंबर 99 हाल खसरा नंबर 151, 154, 161, 178 मे से 8 बीघा भूमित्र आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 13.11.1970 द्वारा आवंटित की गई। भूमि आवंटन होने के उपरान्त आवंटी को आवंटन पत्र जारी होना एवं आवंटित भूमि का कब्जा संभालाये जाने संबंधी कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। भूमि

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

आवंटन नियम 1970 के नियम 15 की पालना में किसी प्रकार की तहरीर जारी होना तथा कब्जा सुपुर्द की कार्यवाही नहीं की गई है। आवंटित भूमि मौके पर आवंटी या उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा काश्त की गई हो इसका भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है इससे जाहिर है कि प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम, 1970 की पालना नहीं हुई है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि सिवाय चक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि आवंटी या उसके वारिसान द्वारा आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का बहलोड की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2020 अनुसार भी आदिनांक तक आवंटी एवं इनके वारिसान उक्त आवंटित भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है। कृषि भूमि आवंटन/नियमों के प्रावधान अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार जमवारामगढ उक्त आवंटित भूमि पर अन्य दीगर व्यक्तियो के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर उनके विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की गयी है जिससे जाहिर होता है कि आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा आवंटित भूमि पर नहीं रहा है।

अतः आवंटी एवं उसके वारिसान द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 में निहित नियमों की पालना नहीं किये जाने के कारण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता मांगू पुत्र गोपाल जाति बलाई निवासी ग्राम बहलोड तहसील जमवारामगढ के हक में आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 13.11.1970 द्वारा ग्राम चिलपली स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 99 हाल खसरा नंबर 151, 154, 161, 178 में रकबा 8 बीघा का किया गया भूमि आवंटन खारिज किया जाता है। । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर